भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 923
दिनांक 27 जुलाई, 2026

पेट्रोल के साथ मिश्रण हेतु तेल परिशोधनशालाओं द्वारा एथेनॉल की खपत

923 **श्री अशोक सिंहः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जून, 2026 तक के पिछले चौबीस महीनों के दौरान पेट्रोल के साथ मिश्रण हेतु तेल परिशोधनशालाओं और तेल विपणन कंपनियों द्वारा कुल कितने एथेनॉल का उपयोग किया गया है;

(ख) मिश्रण से पूर्व एथेनॉल की गुणवत्ता की जांच की प्रक्रिया क्या है और इस संबंध में किन-किन मानकों की जांच की जाती है; और

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान गुणवत्ता संबंधी कारणों से एथेनॉल की किसी खेप को अस्वीकार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा जून 2026 तक पिछले चौबीस महीनों के दौरान पेट्रोल में मिश्रण के लिए खपत की गई एथेनॉल की कुल मात्रा लगभग 2030 करोड़ लीटर है।

(ख): पेट्रोल में मिश्रण के लिए ओएमसी द्वारा प्राप्त एथेनॉल को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देशों के अनुसार आईएस 15464 के अनुरूप कड़े गुणवत्ता नियंत्रण मापदंडों को पूरा करना होगा। पंजीकृत एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कंपनियों को विकृत एथेनॉल की आपूर्ति करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें प्रासंगिक मापदंडों की जांच करनी होगी, जिनमें न्यूनतम 99.5% आयतन के अनुसार एथेनॉल की शुद्धता, जल की मात्रा, सापेक्षिक घनत्व, रंगरूप, सल्फेट की मात्रा और विकृतीकरण कारक की आवश्यक मात्रा शामिल है। एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति किए गए प्रत्येक टैंकर ट्रक के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने वाला परीक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

ओएमसी टर्मिनल/डिपो पर उत्पाद प्राप्त होने पर, मिश्रण से पहले एथेनॉल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसकी जांच और भंडारण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

i. भंडारण: एथेनॉल टैंकों को अलग-अलग, जल-मुक्त और साफ किया जाना चाहिए (हर 2 वर्ष में एक बार या आवश्यकतानुसार), सफाई प्रमाण पत्र बनाए रखा जाना चाहिए और मैनहोल कवर पर तारीखें अंकित की जानी चाहिए।

ii. बैच निर्माण परीक्षण: नए/साफ़ किए गए टैंक में पहली बार प्राप्त होने के बाद, नमूनों का परीक्षण उद्योग गुणवत्ता नियमावली के अनुसार किया जाता है। उत्पाद को मिश्रण के लिए तभी जारी किया जाता है जब यह पुष्टि हो जाती है कि यह गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करता है।

iii. नमी से सुरक्षा: टैंकों में सिलिका जेल वेंट ट्रैप लगा होता है। फिटिंग को टेफ्लॉन टेप/गैस्केट का उपयोग करके वायुरोधी रखा जाता है।

iv. निष्क्रियता की जाँच: यदि स्टॉक तीन महीने से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है, तो उपयोग से पहले नमूने का पुनः परीक्षण किया जाता है।

v. नियमित निगरानी: मासिक रूप से नमूनों की जांच की जाती है।

vi. मिलान: एथेनॉल स्टॉक बनाम मिश्रित मात्रा का दैनिक मिलान किया जाता है और यदि कोई विचलन हो तो उस पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

टैंकर ट्रक प्राप्त होने पर, प्रत्येक डिब्बे के ऊपर और नीचे से नमूने लिए जाते हैं और इन नमूनों का दृश्य स्वरूप, 15.6°C पर सापेक्ष घनत्व/विशिष्ट गुरुत्व, रंग, आयतन प्रतिशत के अनुसार एथेनॉल की मात्रा और हाइड्रोकार्बन संदूषण की जाँच की जाती है।

(ग) ओएमसी ने सूचित किया है कि 01.07.2024 से 30.06.2026 की अवधि के दौरान एथेनॉल की खरीद संबंधी निविदा के विनिर्देशों के अनुसार गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने के कारण अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 10,500 किलो लीटर एथेनॉल ले जा रहे कुल 302 टैंक ट्रकों को अस्वीकृत कर दिया गया।
